कार्यालय वनसंरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

क्रमांक/मा.चि./ 1662 भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2024

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल सीहोर

विषयः– सीहोर जिले के परिक्षेत्र रेहटी अंतर्गत प्रस्तावित महादेव बेन्द्रा तालाब निर्माण में प्रभावित 37.030 हेक्टेयर वनभूमि, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सीहोर को उपयोग पर देने बाबत्।

(ऑन लाईन प्रस्ताव क्र FP/MP/IRRIG/152697/2022)

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/माचि/574 दिनांक 01/03/2024

---0---

विषयान्तर्गत **महादेव बेन्द्रा तालाब निर्माण हेतु परिक्षेत्र रेहटी के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 488 की 17.713 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि एवं 19.317 हेक्टयर असीमांकित वन भूमि कुल 37.030 हेक्टेयर वन भूमि, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सीहोर को उपयोग पर देने के लिए,** वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु, निर्धारित प्रारूप भाग II की पूर्ति उपरांत, ऑन लाईन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, प्रस्ताव की हार्ड प्रति अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं।

प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया जिसमें निम्नानुसार कमियां/त्रुटियां परिलक्षित हुई हैं:–

1. प्रकरण में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/माचि/449 दिनांक 23/01/2023 द्वारा ली गई आपत्ति के बिन्दु क्र 2 एवं 3 की निम्नानुसार पूर्ति नहीं की गई हैं :–

2. ऑन लाईन प्रस्तुत प्रस्ताव के भाग 1, अनुक्रम (F) Displacement of People due to the Project, if any में आवेदक द्वारा No लेख किया गया हैं। जबकि आपके स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के बिंदु क्र/12 , 13 एवं 14 अनुसार उक्त वनभूमि पर आश्रित लोगो/परिवार का विस्थापन होना हैं। **परीक्षण कर सुधार करावें।**

3. इसी प्रकार प्रस्ताव के भाग 1 , अनुक्रम (B2.1), (B2.2), (B2.3), (B2.4) अनुसार प्रकरण में उपरोक्त 37.030 हेक्टेयर वन भूमि **के अतिरिक्त 34.578 हे0 राजस्व भूमि भी प्रभावित हो रही है।** उक्त राजस्व भूमि में **कोई राजस्व वनभूमि अर्थात छोटे बड़े झाड़ का जंगल तो नहीं हैं,? अतः उचित होगा कि, इस आशय का संबंधित तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जावे,** ताकि बाद में कोई बाधा उत्पन्न न हो। इस संबंध में कोई जानकारी नही दी गई हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियां/त्रुटियां है:–

1. संदर्भित पत्र के **विषय में लिपकीय त्रूटिवश** प्रभावित **वन भूमि 23.00 हेक्टेयर उल्लेखित है।** जबकि, **प्रस्ताव अनुसार 17.713 हेक्टेयर संरक्षित वन एवं 19.317 हेक्टेयर असीमांकित वन क्षेत्र कुल 37.030 हेक्टेयर वन क्षेत्र व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया हैं।** इसी प्रकार उक्त पत्र में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का वनकक्ष **क्र. 488 लेख किया गया है। जबकि, यह पी.एफ. 488 होना चाहिए।**

2.. निर्धारित प्रारूप भाग I अ.क्र. C (III) के तारतम्य में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की SOI Topasheet पर इन्डेकस नहीं हैं।

3. निर्धारित प्रारूप भाग I अ.क्र. D के तारतम्य में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के justification for locating the Project in forest land पर **आपके हस्ताक्षर नहीं हैं** तथा copy of map indicating location of alternatives examined; के **मानचित्र पर परीक्षण किये गये तीन विकल्प स्पष्ट दर्शित नहीं हैं।**

4. प्रकरण में प्रस्तावित वन भूमि का आपके द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमांक 1 **अनुसार कक्ष क्र पी.एफ. 488 एवं असीमांकित वनक्षेत्र व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित हैं। जबकि, इस वनक्षेत्र के जियों मेंप के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि, कक्ष क्रमांक 488, एवं असीमांकित वनक्षेत्र के अतिरिक्त कक्ष क्र 489 भी प्रभावित हो रहा हैं। परीक्षण कर स्पष्ट करे अथवा जियो मेप सुधार कर अपलोड करे।**

5. इसी प्रकार आपके स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के बिन्दु क्र. 3 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का वैधानिक स्वरूप मात्र **पी.एफ. 488 लेख किया गया है जबकि, प्रकरण में असीमांकित वनक्षेत्र भी प्रभवित हो रहा हैं।**

6. आपके स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के बिन्दु क्र. 5 में **व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में 16 वन अधिकार पत्र धारकों के 17 वन अधिकार पत्र है एवं 04 कृषक अतिक्रमणकारी का लेख किया गया है जबकि, अ.क्र.12 एवं 14 अनुसार 16 वन अधिकार पत्र धारक तथा 06 कृषक के राजस्व पट्टे वाले एवं 04 कृषक अतिक्रमणकारी होने का उल्लेख हैं।** कृपया परीक्षण कर सही जानकारी दें।

7. आपके स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के बिन्दु क्र. 15 अनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र तहसील मिर्जापुर के ग्राम रूपेटा में प्रस्तावित होने का उल्लेख किया गया हैं। जबकि, कलेक्टर के हस्तातरण आदेश में तहसील आष्टा के ग्राम मिर्जापुर की भूमि हस्तांतरित हैं। कृपया सही जानकारी का उल्लेख करें।

8. आपके स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के बिन्दु क्र. 21 अनुसार न्यूनतम वनक्षेत्र प्रमावित होने के संबंध में आवेदक संस्थान का प्रमाण संलग्न होने का उल्लेख किया गया हैं। जो प्रस्ताव में संलग्न नही हैं।

9. आपके स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के बिन्दु क्र. 22 में एवं प्रस्ताव में संलग्न वृक्षों की गणना के प्रमाण पत्र पर, व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में 3369 वृक्ष प्रमावित होने का उल्लेख हैं। जबकि, आपके संदर्भित पत्र एवं निर्धारित प्रारूप भाग II अ.क्र. (II) में 3529 वृक्ष प्रमावित होने की जानकारी दी गई हैं। कृपया परीक्षण कर सही जानकारी देवें।

10. प्रकरण में आपके अनुशंसा प्रमाण पत्र पर मात्र पी.एफ. 488 लेख किया गया है जबकि, प्रकरण में असीमांकित वनक्षेत्र भी प्रमवित हो रहा हैं। परीक्षण कर स्थिति स्पष्ट करें।

11. प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के घनत्व का प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण है, जिसमें परियोजना में प्रमावित वन कक्ष पी.एफ. 487 एवं 488 का उल्लेख किया गया है तथा प्रमवित वन भूमि रकबा 23.00 है. अंकित किया गया हैं। कृपया परीक्षण कर सही जानकारी देवें।

12. प्रकरण में आपके पत्र क्रमांक/माचि/247 दिनांक 29/1/2024 द्वारा व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 37.031 है. वन भूमि के विरूद्व कुल 48.792 हेक्टेयर गैर वनभूमि पर क्षतिपूर्ति वनीकरण करने हेतु वर्ष 2025–26 से 2035–36 तक के लिए राशि रूपये 1,53,59,698/– की, 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर, तकनीकी स्वीकृति हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं। जिसे प्रस्ताव में भी संलग्न किया गया है।

उपरोक्तानुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित 48.792 हेक्टेयर गैर वनभूमि में 20.771 है. राजस्व भूमि एवं 28.021 हे. राजस्व वनभूमि प्राप्त हुई हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:–

ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकवा (हे.में)	नोईयत
मिर्जापुर	14/1	3.655	निस्तार
–"–	14/2/1	17.116	पठार (उबड़ खाबड़)
	योग	**20.771**	
मिर्जापुर	1/1/1 क	22.800	जंगल माल पठार
–"–	271/1	5.221	जंगल
	योग	**28.021**	
	कुल योग	**48.792**	

इस प्रकार (37.031 - 20.771= 16.260) शेष 16.260 हे. के विरूद्व समतुल्य गैर वन भूमि अथवा (16.260X2) = 32.520 हे दुगनी राजस्व वनभूमि प्राप्त की जाना चाहिए थी। परन्तु आपके द्वारा 32.520 हेक्टर के विरूद्व उपरोक्तानुसार 28.021 हे. राजस्व वन भूमि ही प्राप्त की गई हैं। इस प्रकार 32.520 – 28.021= 4.499 हेक्टर राजस्व वन भूमि कम प्राप्त की गई है। अतः 4.499 हेक्टर राजस्व वन भूमि अथवा 2.250 हे0. गैर वनभूमि और प्राप्त करे एवं तदानुसार प्राप्त भूमि की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर प्रस्तुत करें।

अतः आपसे प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना एवं संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव मूलतः वापस किये जाते हैं। कृपया प्रकरण का सूक्ष्मता से परीक्षण कर, भविष्य में कोई विवाद न हो को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्तानुसार कमियों एवं और भी यदि कोई कमी हो तो उसकी भी पूर्ति/समाधान उपरांत,, पूर्ण रूपेण प्रस्ताव ऑन लाईन, प्रस्तुत कर, प्रस्ताव की हार्ड प्रति उसी दिन संलग्न सहपत्र सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे

संलग्नः–यथावर्णित।

(राजेश कुमार खरे)
वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2024

क्रमांक/मा.चि./ 1663
प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

E:\cf act year 2012\cf act Jan 2024.doc

20/3/24